

सं-10/1/2012/भगीरथ(हिन्दी)/ 1036  
केन्द्रीय जल आयोग  
भगीरथ (हिन्दी) अनुभाग

पश्चिमी खंड-2  
रामकृष्णपुरम्  
नयी दिल्ली-110 066

21 जुलाई 2017

विषय : श्री सरवर, डी ई ओ-बी को कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में.

संदर्भ : केजआ स्थापना-11 के शुद्धिपत्र आदेश सं-31/8/2008-स्था-11/ 1129-39  
दिनांक 20 जुलाई 2017.

उपर्युक्त विषय तथा संदर्भित पत्र के अंतर्गत श्री सरवर, डी ई ओ-बी, को अस्थायी रूप से मुख्य इंजीनियर, बाढ़ प्रबंधन संगठन (एफएमओ) के अंतर्गत बाढ़ पूर्वानुमान एवं प्रबोधन केन्द्र (एफएमओसी) में तैनात किए जाने के फलस्वरूप उन्हें इस निदेशालय के कार्य से आज दिनांक 21 जुलाई 2017 (अपरान्ह) से कार्यमुक्त किया जाता है.

तदनुसार उन्हें निर्देश हैं कि वे बाढ़ पूर्वानुमान एवं प्रबोधन केन्द्र (एफएमओसी) अपना कार्यभार ग्रहण करें.

*[Signature]*  
21/7/2017

(धर्मबीर सिंह)

उपनिदेशक(तकनीकी/प्रलेखन)

बीपीएल-3520

1. मुख्य इंजीनियर(एफएमओ).
2. निदेशक (एफएमओ)केजआ, सेवा भवन, नयी दिल्ली
3. निदेशक, हाइड्रोलॉजी (एन), केजआ, सेवा भवन, नयी दिल्ली
4. निदेशक, हाइड्रोलॉजी (एनई), केजआ, सेवा भवन, नयी दिल्ली
5. निदेशक, (आईपीओ),केजआ, सेवा भवन, नयी दिल्ली
6. वरिष्ठ पीपीएस (अध्यक्ष), केजआ, सेवा भवन, नयी दिल्ली
7. पीपीएस, सदस्य (आर एम), केजआ, सेवा भवन, नयी दिल्ली
8. निदेशक (त/प्र), केजआ, नयी दिल्ली
9. अनुभाग अधिकारी(स्थापना-11)केजआ, नयी दिल्ली
10. श्री सरवर, डी ई ओ-बी को आवश्यक अनुपालन हेतु.
11. उपनिदेशक (एसएमडी) केजआ, सेवा भवन नयी दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इसे केजआ की ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दें.

*[Signature]*  
21/7/17

*[Signature]*  
Delant  
21-7-17

*[Signature]* Sec. / Dy. / Dir.  
डा. सं./Dy. No. 1587  
दिनांक/Date 21-7-17